

CSC Application



Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

Reciept No: 040109230071483060903
Application Status : PAID

State : **UTTAR PRADESH**
 Scheme : **PMFBY**
 Year : **2023**
 Application Type : **NON LOANEE**
 Season : **KHARIF**
 Created By : **CSC**
 Created At : **31/07/2023**



Farmer Details

Farmer Name : Azad Kumar Jain
Relative Name : Siddh Kumar(son_of)
Mobile No. : 9935060428
Farmer Type : Small
Gender : Male

Bank Details

Account Number : 3673000100126858
IFSC : PUNB0367300
Bank Name : Punjab National Bank
Branch Name : MAURANIPUR-GANDHI MARG
Account Type : SAVING

Crop Details

District	Village	IU Level	Crop	Survey No.	Sum Insured (₹)	Area Insured (Hect./Plants)	Gov. Share (₹)	Fa
Jhansi	Achausa	Achausa(GramPanchayat)	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	00172	13043.42	0.5902	273.9	2
Jhansi	Pahar Pura Rankar	Haibat Pura(GramPanchayat)	Black Gram (Urad)	00007	45403.6	2.428	953.46	9
Jhansi	Achausa	Achausa(GramPanchayat)	Groundnut (Pea Nut)	00172	37359.66	0.5902	784.54	7

Total Area Insured :
3.6084 Hect.

Total Premium Paid :
₹ 1916.12

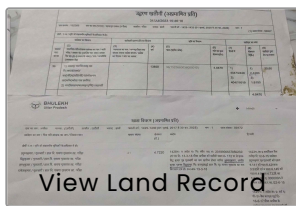
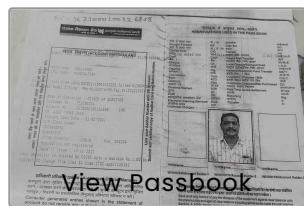
Total Sum Insured:
₹ 95806.68

Insurance Company : **IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD.**

Helpline / Email : **18001035490 / supportagri@iffcotokio.co.in**

Address : **IFFCO Tower ,Plot No. 3 , Sector 29 , Gurgaon -122001,Haryana(India)**

Attached Documents



Thu Aug 03 2023 20:17:35 GMT+0530 (India Standard Time)

महत्वपूर्ण नोट : इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ में आवेदक किसानों के नामांकन और बीमा कवरेज से संबंधित जाँच बिंदुओं एवं सामान्य सलाह का उल्लेख किया गया है। आवेदक किसानों को योजना के नियमों और शर्तों का पालन करना है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : यह दस्तावेज़ केवल किसान द्वारा बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के अधीन योजना में भाग लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच कर योजना में किसान की भागीदारी का निर्धारण किया जाएगा।



Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

योजना में भाग लेने पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु :

- क) योजना में आवेदक किसान के पंजीकरण की रसीद प्राप्त करने के बाद, सीएससी-वीएलई बैंक/मध्यस्थ द्वारा दर्ज की गई जानकारी को क्रॉस-चेक करें। नामांकन के समय महत्वपूर्ण विवरण भूमि विवरण, बैंक खाता संख्या, बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम राशि की पुनः जांच की जानी चाहिए।
- ख) इस पंजीकरण रसीद की प्रामाणिकता रसीद के पेज 1 पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके सत्यापित की जा सकती है। आवेदक किसानों द्वारा क्यूआर कोड स्कैन कर प्राप्त जानकारी से भूमि विवरण आदि। इसकी जांच - पड़ताल करें।
- ग) पंजीकरण रसीद की जानकारी में कोई विसंगति के मामले में, आवेदक किसान को सलाह दी जाती है कि किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए तुरंत सीएससी केंद्र/बैंक/मध्यस्थ को रिपोर्ट करें।

आवेदक किसानों के लिए सामान्य निर्देश :

- क) आवेदक किसान को किसी भी माध्यम से नामांकन कराने के लिए किसान आवेदक द्वारा कोई प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक किसान को किसी भी माध्यम सीएससी / बैंक /मध्यस्थ के माध्यम से नामांकन के लिए केवल किसान प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है।
- ख) पोर्टल पर उल्लिखित विवरण और पंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज में उल्लिखित विवरण में कोई गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक किसान किसी भी स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने के कारण प्राकृतिक आग, बिजली गिरने) एवं फसल कटाई के बाद किसी भी स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि, तूफान, बादल फटने के कारण और बेमौसम बारिश) के नुकसान की पर आवेदक किसान फसल बीमा ऐप के माध्यम से फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर बैंक / राज्य सरकार के कार्यालय पर सूचित कर सकता है, जिसका उल्लेख पृष्ठ 1 पर दिखाए गए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर/बैंक/राजस्व/कृषि विभाग को नुकसान की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए।
- ग) योजना के तहत दावा राशि की गणना अधिसूचित बीमा क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के माध्यम से निर्धारित फसल की औसत उपज सीमा में कमी के अनुसार और योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन निर्धारित किया जाता है। इस योजना के तहत बीमा दावों की गणना का निर्धारण करते समय किसी भी सरकारी विभाग / संस्थान द्वारा प्रतिशत, सूखा, कमी की स्थिति और बाढ़ क्षति के बारे में घोषित आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
- घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विकसित एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप के माध्यम से किसान के आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। ऐप गूगल प्ले स्टोर और www.pmfby.gov.in पर उपलब्ध है।